

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ०प्र०, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 21 जनवरी, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 हेतु पूंजीगत मद में केन्द्रांश रु. 200.00 लाख एवं राज्यांश रु. 133.33 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रु. 333.33 लाख अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-शा०/85/2020-आर.जी.एस.ए./81(1)/2015 दिनांक 28.12.2020 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2019 दिनांक 24.03.2020 के क्रम में भारत सरकार के पत्र संख्या-के.11011/18/2020-सी.बी. दिनांक 18.12.2020 द्वारा पूंजीगत मद में अवमुक्त केन्द्रांश रु. 200.00 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रु. 133.33 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रु. 333.33 लाख (रु. तीन करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) निदेशक, पंचायती राज उ०प्र० द्वारा धनराशि का व्यय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत निर्गत गाइडलाइन/दिशा-निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
- (2) स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार फेजिंग में किया जायेगा।
- (3) आकड़ों की शुद्धता व विभिन्न घटकों में भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.12.2020 में अंकित निर्देशों के अनुसार धनराशि के आहरण/व्यय के अनुपालन का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ०प्र० का होगा।
- (4) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा। निदेशक, पंचायतीराज उ०प्र० द्वारा इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कार्यदायी संस्था के पास दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो।
- (6) धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइडलाइन/दिशा-निर्देश तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ०प्र० का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज 30प्र0 का होगा।
- (8) भारत सरकार द्वारा निर्गत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की गाइड लाइन के अनुसार भारत सरकार से पूंजीगत मद में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0104-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)(के.60/रा.40-के*रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य में कुल धनराशि रु. 333.33 लाख (रु. तीन करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के नाम से बैंक ऑफ बड़ौदा, गोमतीनगर में खोले गए खाता संख्या-31860100018092 आई.एफ.एस.सी. कोड-BARB0AVALUC में अवमुक्त किया जायेगा।
- (9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन कार्य/योजनाओं हेतु अवमुक्त की जा रही है उन्हीं मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।
- (10) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।
- (12) धनराशि के आहरण/व्यय के सम्बन्ध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों एवं अन्य वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (13) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी.एम.-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा।
- (14) स्वीकृत की धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2020/बी-1-149-दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज 30प्र0 का होगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासनादेश-2-66(1)/X-2021 दिनांक- 21.01.2021 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार)

अनु सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, 30प्र0 प्रदेश शासन।
- 3- समस्त जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी 30प्र0।
- 4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- एन0आई0सी0 की प्रति।
- 6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, 30प्र0 शासन।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, 30प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार)

अनु सचिव।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।